"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2017 —— आश्विन 11, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-43/2011/32. —— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के अंतर्गत, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2011 द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है, में सरल क्रमांक 12 के पश्चात् सरल क्रमांक 13 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय	भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करना (नगरीय निकाय सीमा से बाहर एवं निवेश क्षेत्र के अंदर	30	संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ सहायक संचालक	आयुक्त सह-संचालक	अपर/ विशेष/ संयुक्त/ उप सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.